कार्यालय, कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया

पत्रांक 39 .... दिनांक 19.03.10 ....

प्रेषक,

कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
अररिया ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया ।

विषय : ग्राम पंचायत जमुआ में नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित योजनाओं में पाए गए अनियमितता का जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में ।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 65/अभि0, दिनांक 12.01.10 एवं भवदीय पत्रांक 352/सी0, दिनांक 15.03.10

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में योजनाओं में पाये गए अनियमितता की जांच मेरे द्वारा की गई है । जांच में पाई गई अनियमितता एवं उन पर की गई कार्रवाई की बिन्दुवार स्थिति इस प्रकार है :-

1. कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाना - कुल 76 प्रतिशत जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री संजय कुमार चांद से स्पष्टीकरण की मांग की गई । उनके द्वारा बताया गया कि कार्य करने के इच्छुक श्रमिकों के द्वारा कभी कार्य के लिए आवेदन नहीं दिया गया । वर्तमान में जमुआ पंचायत अन्तर्गत मजदूरों के काम मांगे जाने पर योजना सं0 46/2009-10 आरंभ की गई है । जिसमें काम मांगने वाले मजदूरों को कार्य मुहैया कराया जा रहा है । साथ ही तीन अन्य नए योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर रखा गया है । कार्यान्वित योजना के पूर्ण होने पर तत्काल दूसरी नयी योजना प्रारंभ कर दी जाएगी ताकि काम मांगने वाले मजदूरों को लगातार रोजगार मुहैया कराया जा सके ।
2. योजना राशि का गबन - ऐनुल मियां के घर से शहीद मियां के घर तक मिटटी भराई का स्थलीय जांच किया गया । साथ ही अभिलेख में संलग्न मस्टर रॉल का निरीक्षण किया । मस्टर रॉल में अंकित मजदूरों से खगगड़ा मझुआ टोला में जाकर बयान दर्ज किया गया, जिसकी छायाप्रति इस जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है । जांच के क्रम में उपस्थित 15 मजदूरों का

लगातार .... 2 पर

लिखित बयान दर्ज कराया गया है कि उन लोगों के द्वारा उक्त योजना में एक दिन भी मजदूरी नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि योजना में कार्य करने वाले मजदूरों का मस्टर रॉल फर्जी है । इस योजना के अभिकर्ता श्रीमति लक्ष्मी देवी, मुखिया जमुआ पंचायत एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, श्री पंकज कुमार झा थे उक्त दोनों अभिकर्त्ताओं से इस योजना के मस्टर रॉल में अंकित राशि मो0 53202=00 (तिरपन हजार दो सौ दो) रूपये की वसूली हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 37 दिनांक 18.03.10 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है । यदि उक्त अभिकर्त्तागण चार दिनों के अन्दर उस राशि को जमा नहीं करते हैं तो इनके विरूद्ध निलाम पत्र वाद दायर करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी ।

(अनुलग्नक–1 – मजदूरों का ब्यान)

3. **ट्रैक्टर का उपयोग** – खमगड़ा मंडल टोला ईट सोलिंग से पांचू मंडल के घर तक मिटटी भराई कार्य का स्थल निरीक्षण किया । योजना का कार्य स्थल पर उपस्थित ग्रामीणों से ब्यान लिया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है । उपस्थित ग्रामीणों में से कुछ ने मजदूरों द्वारा भराई कार्य करने तथा कुछ के द्वारा ट्रैक्टर से मिटटी भराई कार्य होने की बात बतायी गई । उपस्थित लोगों से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश कार्य मजदूरों द्वारा किया गया है, परन्तु जहां घर रहने के कारण मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, वहां ट्रैक्टर द्वारा भी मिटटी डाला गया है । इस योजना के अभिकर्ता श्रीमति मीणा देवी, वार्ड सदस्या, वार्ड सं0– 06 है । आंशिक रूप से इस योजना में ट्रैक्टर उपयोग किए जाने के कारण अभिकर्ता के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश देने की कृपा की जाय ।

(अनुलग्नक–2 – उपस्थित ग्रामीणों का ब्यान)

4. **मजदूरों का भुगतान** :– योजना सं0 07, 08, 09, 22 एवं 26 में कार्य करने वाले मजदूर तेतरी खातून, मो0 फजलुर रहमान, कामदेव मंडल, संजय मंडल, बालबोध मंडल के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत किए गए कार्य की मजदूरी इन्हें मिल चुका है, जबकि अन्य मजदूर चन्द्रानंद मंडल एवं दिनेश मंडल के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा किए गए मजदूरी का भुगतान इन्हें नहीं हुआ है । पंचायत रोजगार सेवक जमुआ के द्वारा बताया गया है कि पंचायत अन्तर्गत नरेगा योजना में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण कुछ मजदूरों का भुगतान अभी लंबित है । इस पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है । शीघ्र ही राशि उपलब्ध होते ही इन मजदूरों का मजदूरी भुगतान

लगातार .... 3 पर

कर दिया जाएगा ।

(अनुलग्नक-3 - मजदूरों द्वारा दिया गया ब्यान)

5. **अपूर्ण योजना** :- पंचायत अन्तर्गत 11 योजनाओं में भौतिक रूप से 08 योजनाएं पूर्ण हो चकी हैं । इस संबंध में योजनावार प्राक्कलित राशि एवं मापीपुस्त की राशि का विवरण संलग्न की जा रही है ।

(अनुलग्नक-4 - योजनाओं की विवरणी)

6. **अभिलेख संधारण ठीक नहीं** :- योजना संख्या 22/08-09 का निरीक्षण किया गया इस योजना में अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित मस्टर रॉल एवं एडभाईस में गड़बड़ी पाई गई है । मस्टर रॉल में अंकित अधिकांश मजदूर तरौना भोजपुर अंतर्गत आमगाछी के निवासी पाए गए हैं । जिनसे लिखित ब्यान लिया गया है । इन मजदूरों के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा उक्त योजना में काम नहीं किया गया है एवं मजदूरी का भुगतान भी प्राप्त नहीं हुआ है । स्पष्टतः इस योजना में कार्य किसी अन्य मजदूर से कराया गया है एवं मस्टर रॉल, एडभाईस पर किसी अन्य मजदूर का नाम अंकित है । मस्टर रॉल एवं एडभाईस में अंकित राशि मो० 100872.00 (एक लाख आठ सौ बहत्तर) रूपये की वसूली इस योजना के अभिकर्ता श्री नेहरू कुमार झा, पंचायत समिति सदस्य से करने के लिए इस कार्यालय के ज्ञापांक 38 दिनांक 18.03.10 के द्वारा नोटिस निर्गत किया जा चुका है । अभिकर्ता द्वारा यदि चार दिनों के अन्दर उक्त राशि नहीं लौटाया जाता है तो उनके विरूद्ध निलाम पत्र वाद दायर करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी ।

(अनुलग्नक-5 - मजदूरों का ब्यान)

7. **कार्य स्थल पर नियमानुकूल सुविधा नहीं** :- सभी कार्य स्थलों पर नियमानुकूल सुविधा यथा शेड, चिकित्सा, पीने का पानी एवं क्रैच भविष्य में उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट निर्देश पंचायत रोजगार सेवकों को दिया गया है ।
8. **सोशल ऑडिट (23 दिसम्बर 2009) को मुखिया द्वारा कार्यक्रम को बाधित किया जाना** :- दिनांक 23.12.09 को सामाजिक अंकिक्षण के दौरान मुखिया पति श्री झबरू मंडल के द्वारा मार-पीट कर कार्यक्रम को बाधित करने के संबंध में ताराबाड़ी थाना में मुखिया पति एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । जिसमें एक व्यक्ति को गिरफतार कर जेल भेजा गया है । इस संबंध मे ताराबाड़ी थाना प्रभारी को अभियुक्त मुखिया पति झबरू मंडल को गिरफतार करने का निर्देश दिया गया है । थाना प्रभारी, ताराबाड़ी द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया है कि अबतक उनके

लगातार .... 4 पर

द्वारा 05 बार छापामारी की गई है, परन्तु झबरू मंडल पकड़ से बाहर हैं । थाना प्रभारी, ताराबाड़ी के द्वारा कुर्की-जब्ती हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

9. **दोहरी जॉबकार्ड निर्गत** :- दोहरी जॉबकार्ड निर्गत के संबंध में पाया गया कि प्रभाष कुमार पासवान, पिता- सफेद लाल पासवान, निबंधन संख्या- BH/01/01/098/709 एवं जेठू सदा, पिता- स्व० मक्खन सदा, निबंधन सं०- BH/01/01/098/98 इन दोनों का खाता खोलने हेतु फार्म भर कर डाकघर भेजा गया लेकिन प्रभाष कुमार पासवान का मजदूरी भुगतान करने हेतु पहले खाता खोला गया जिसमें पोस्ट ऑफिस कर्मी की भूल से 709 की जगह 098 पर खाता खुल गया । इसके बाद मजदूरी भुगतान करने हेतु पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रभाष कुमार पासवान का जॉबकार्ड संख्या 098 पर स्थानान्तरित कर दिया गया । लेकिन जेठू सदा का नाम उस समय जॉबकार्ड संख्या 709 पर स्थानान्तरित नहीं किया गया । इस संबंध में पंचायत रोजगार सेवक को निर्देशित कर जेठू सदा का नाम जॉबकार्ड संख्या 709 पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

10. मजदूरों को जॉबकार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 22.01.10 को ग्राम पंचायत जमुआ में विशेष कैम्प लगाकर कुल 72 नये जॉबकार्ड बनाये गये एवं 96 पुराने जॉबकार्ड को बदलकर नवीकृत किया गया है । वर्तमान में दिनांक 14.03.10 से लगातार नये जॉबकार्ड वितरण एवं नवीकरण का कार्य चल रहा है । जमुआ पंचायत के सभी जॉबकार्ड धारियों का खाता खोलकर पासबुक निर्गत करने का कार्य पंचायत रोजगार सेवक के सहयोग से शाखा उप डाकपाल, जमुआ द्वारा किया जा रहा है । सभी कार्डधारियों को पासबुक निर्गत करने हेतु उप डाकपाल, जमुआ एवं पंचायत रोजगार सेवक, जमुआ से समन्वय स्थापित कराया गया है ।

ग्राम पंचायत राज जमुआ के तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री अंजय कुमार चांद एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड अररिया श्री कुमार प्रवीण को पूर्व में ही सेवा मुक्त किया जा चुका है ।

जांच प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित

विश्वासभाजन

अनु० - यथोक्त - 08 पृष्ठ

(हस्ताक्षर) 19.3.10.

कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
अररिया